न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–23/19 (राजस्व वाद) दायर दिनाकः– 27-6-2019

निर्णय दिनाकः– 7-9-2020

अनवान

1– श्री शिवनारायण पिता जीवतराम भट्ट निवासी खडगदा तहसील सागवाडा

(वादी/प्रार्थी)

बनाम

1– श्री दिनेश पिता भाणजी रोत

2– श्री जगु पिता भाणजी रोत निवासी खडगदा तहसील सागवाडा

3– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादी/अप्रार्थी)

वकील वादी–श्री मंयक दोसी
वकील प्रतिवादी संख्या 2– श्री निखिल सोमपुरा
प्रतिवादी 3 की और से पैरोकार सरकार

वाद/प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 आरटीए

निर्णय/आदेश

वाद/प्रार्थना वादी/प्रार्थी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी गॉव खडगदा का निवासी है उसके स्वामित्व व कब्जेदारी की कृषि भुमि गौजा खडगदा की खसरा नम्बर 1381 रकबा 12 बिस्वा किस्म बीड की स्थित है अप्रार्थी 1 व 2 मौके पर विवाद कर प्रार्थी को उसकी कृषि भुमि पर बाड नही करने दे रहे है। जिससे प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भुमि की पत्थरगढी कर सीमा ज्ञान कराने निवेदन किया गया।

यह कि वादी द्वारा पेश वाद पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नही आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई। अप्रार्थी/प्रतिवादी 2 की और से अपना यह जवाब पेश किया की वादी के साथ उसने काई विवाद बाढ लगाने को

लेकर नही किया है अगर वादी/प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी/प्रतिवादी 3 आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया जिससे कोई विशेष राहत नही चाही जाने से उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया।

यह कि प्रकरण मे वादी के वाद/प्रार्थना पत्र से प्रतिवादी संख्या 2 कोई इत्तफाक नही रखता है. उसके द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी/सीमाज्ञान से कोई आपत्ति नही है। जिस पर न्यायालय के द्वारा वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया एव विद्वान अभिभाषक के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वादी खसरा नम्बर 1381 रकबा 12 बिस्वा कृषि भुमि का खातेदार हो उक्त भुमि उसके कब्जेयाबी की होने से प्रार्थना पत्र स्वीकर कर प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी/सीमाज्ञान के आदेश दिए जाते है। नियमानुसार तहरीर अप्रार्थी संख्या 3 को जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा पालना रिर्पोट न्यायालय मे प्रस्तुत कि गई। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा पर्चा मौका कायम किया जा पत्थरगढी/सीमाज्ञान प्रार्थी/वादी को करवा दिया है उससे अप्रार्थी संख्या 2 को भी कोई आपत्ति नही होने से पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 7-9-2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा